प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

- -

एकल पीठ : माननीय श्री मणींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायधीश

- -

दांडिक अपील क्र. 1607/2000

अपीलार्थी विनोद नामदेव

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : दिनांक 1 अक्टूबर, 2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

- - -

एकल पीठ : माननीय श्री मणीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 1607/2000

अपीलार्थी विनोद नामदेव

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

उपस्थितः

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता।

श्री अविनाश के. मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य हेतु।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- - -

निर्णय

(दिनांक 1 अक्टूबर 2010)

(1) यह दांडिक अपील विशेष वाद संख्या 39/1999 में विद्वान विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) द्वारा पारित दिनांक 29 मई, 2000 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके "*एनडीपीएस अधिनियम*" कहा गया है) की धारा 20 (ख) और 22 के तहत अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया गया है और उसे धारा 20 (ख) के तहत 2 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 22 के तहत 10 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 16-3-1999 को थाना अंबिकापुर के सहायक उपनिरीक्षक भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) को सूचना मिली कि अपीलार्थी अपने घर के सामने

गांजा और ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना को रोज़नामचा सनहा क्र. 1268 (अनुलग्नक पी-24) के अंतर्गत लिखित रूप में दर्ज किया गया। प्रदर्श पी.-2 के तहत, भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) ने तलाशी वारंट प्राप्त किए बिना आगे बढ़ने के कारण दर्ज किए और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42(2) में निहित अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन में प्रदर्श पी.-1 के तहत नगर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी। इसके पश्चात, भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) अपनी टीम के साथ 16:40 पर रवानगी दर्ज करके घटनास्थल पर पहुँचे। ब्रह्मपारा (घासियापारा) में घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शशिद खान (अ.सा.-4) को उनकी उपस्थिति दर्ज करने और कार्यवाही का गवाह बनने के लिए प्रदर्श पी-4 बी का समन दिया गया। इसके पश्चात, अभियुक्त को सड़क पर पाए जाने पर प्रदर्श पी-5 में पहचान ज्ञापन तैयार किया गया और फिर प्रदर्श पी-6 में एक नोटिस अपीलकर्ता को दिया गया जिसमें उसे सूचित किया गया कि अपीलकर्ता के कब्जे से गांजा और ब्राउन शुगर है और वह इन्हें बेच रहा है और उससे पूछा गया कि क्या वह चाहता है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सहायक उप निरीक्षक द्वारा की जाए, जिसके बाद अपीलार्थी ने गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर सहित नोटिस पर लिखित रूप में इसे दर्ज करके सहायक उप निरीक्षक द्वारा तलाशी लेने के लिए अपनी सहमति दी। इसके बाद, सहायक उप निरीक्षक-भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) की अपीलार्थी ने गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ली और प्रदर्श पी-7 में तलाशी ज्ञापन तैयार किया गया। तत्पश्चात मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) और आरक्षक राकेश कुमार और पुष्पराज सिंह की तलाशी ली गई और प्रदर्श पी-8 में पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद, मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) ने सहायक उप निरीक्षक भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) की तलाशी ली और प्रदर्श पी-14 में पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस और पंच गवाहों की टीम की तलाशी पूरी होने के बाद, अपीलार्थी की शारीरिक तलाशी ली गई और उसके द्वारा पहने हुए कुर्ते की जेब से ब्राउन शुगर के दो छोटे पैकेट और उसके हाथ में रखे प्लास्टिक बैग से गांजा बरामद किया गया। प्रदर्श पी-9 में तलाशी ज्ञापन तैयार किया गया। दृश्य और गंध से पहचान की गई और पता चला कि यह गांजा और ब्राउन शुगर है। प्रदर्श पी-10 में इस आशय का एक पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद, विनिषिद्ध वस्तु का वजन किया गया और उसे सील कर दिया गया, और प्रदर्श पी-12 के तहत एक पंचनामा भी तैयार किया गया। तत्पश्चात, प्रदर्श पी-13 के विनिषिद्ध वस्तु जब्ती ज्ञापन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत जब्त कर लिया गया। घटनास्थल पर एक देहाती नालिसी प्रदर्श पी-15 के अनुसार दर्ज की गई और घटनास्थल का नक्शा भी प्रदर्श पी-11 के अनुसार तैयार किया गया। अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रदर्श पी-16 में एक ज्ञापन तैयार किया गया। गिरफ्तारी के कारण प्रदर्श पी-17 के अनुसार दर्ज किए गए और अपीलार्थी की पत्नी को प्रदर्श पी-18 के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना दी गई। तत्पश्चात, थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) प्रदर्श पी-19 में दर्ज कर सूचना प्रदर्श पी-20 के माध्यम से विशेष न्यायालय को प्रेषित की गई तथा तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी का विवरण प्रदर्श पी-3 के माध्यम से नगर पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित किया गया। जब्त की गई वस्तुएँ थाने के मालखाना मोहर्रिर की अभिरक्षा में सौंप दी गईं तथा प्रदर्श पी-4 में प्राप्ति की पावती प्राप्त की गई। प्रदर्श पी-5 (ग) में जब्त की गई वस्तु को मालखाना में जमा करने के संबंध में प्रविष्टि दर्ज की गई, जो प्रदर्श पी-26 में दर्ज रोजनामचा सनहा क्र. 1285 से संबंधित थी। नगर पुलिस अधीक्षक ने सील किए गए पैकेटों की जाँच की जो अक्षुण्ण पाए गए, जिसे रोज़नामचा सनहा क्र. 2094 (प्रदर्श पी-28) में दर्ज किया गया। तत्पश्चात, प्रदर्श पी-29 की प्रविष्टि के अनुसार, मालखाना रजिस्टर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) को प्रेषण के संबंध में एक प्रविष्टि की गई। एफ.एस.एल. से प्रदर्श पी-22 में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें दो सीलबंद पैकेटों, वस्तु ए और बी, जो सील के नमूने के अनुसार सीलबंद पाए गए, में गांजा (पैकेट ए) और हेरोइन (पैकेट बी) पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, आरोप पत्र दायर किया गया। विद्वान विशेष न्यायालय ने साक्ष्य और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) और 22 के तहत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए आरोप विचरित किए। अपीलार्थी ने अपना दोष अस्वीकार करते हुए निर्दोष होने का अभिवाक किया।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए मार्कंडे मिश्रा (अ.सा.-1), जितेंद्र सिंह (अ.सा.-2), मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3), शाहिद खान (अ.सा.-4) और भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) तथा धर्मवीर सिंह यादव (अ.सा.-6) का परीक्षण किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों से पूछताछ की और अपीलकर्ता से उसके विरुद्ध उपस्थित साक्ष्यों और परिस्थितियों के संबंध में पूछताछ की।

अपीलकर्ता ने सभी परिस्थितियों का खंडन किया और कहा कि उसे उस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था, थाने ले जाया गया था और 7-8 कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिए गए थे।

(5) अपीलकर्ता ने बचाव साक्षी क्र. 1 के रूप में चंद्रदत्त तिवारी और बचाव पक्ष के गवाह क्र. 2 के रूप में जगतराम का प्राईक्षण किया।

(6) अभियोजन और बचाव साक्षियों की जांच करने और अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) और 22 के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उसे इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अनुसार दंडित किया।

(7) इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश को चुनौती देते हुए, दो दलीलें पेश की हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि दोषसिद्धि का निर्णय एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में निहित अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण है। दूसरा तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अत्यधिक संदिग्ध है और यह झूठे फँसाये जाने के आरोप का मामला है क्योंकि दोनों स्वतंत्र पंच गवाहों मोहम्मद सलीन (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूँकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में दंड संबंधी प्रावधान में कठोर दंड का प्रावधान है इसलिए धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का शब्दशः और मूल भावना से कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि अपीलार्थी के शरीर पर ज़ब्ती करने से पहले धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण विवरणों पर अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में स्पष्ट विसंगतियाँ हैं। पंच गवाह, जो एकमात्र स्वतंत्र गवाह थे, उन्होंने धारा 50 के तहत नोटिस तैयार करने से लेकर ज़ब्ती करने तक, सभी पहलुओं पर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उनका तर्क है कि ऐसे मामले में जहाँ ज़ब्ती बिल्कुल भी साबित नहीं हुई है और ज़ब्ती के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन पक्ष का

पूरा मामला अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है और अपीलार्थी को विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ऐसी सामग्री के आधार पर सश्रम कारावास दंड नहीं दिया जा सकता। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **भोला राम कुशवाहा बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1]**, रितेश चक्रवर्ती बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] **और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुभाष कुमार सिंह तोमर**[3] के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर अवलंब लिया गया है।

(8) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आपेक्षित दोषसिद्धि और दंडादेश निर्णय का समर्थन किया है और यह तर्क दिया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में निहित प्रावधान का सारभूत अनुपालन किया गया है, जिसे अन्वेषण अधिकारी भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) द्वारा विधिवत रूप से सिद्ध किया गया है, जिन्होंने अपनी गवाही में बयान दिया है और इस संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके यह भी सिद्ध किया है कि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त होने और उसकी तलाशी लेने के आशय के बारे में सूचित किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने की आवश्यकता है और उनकी सहमति के बाद ही उनकी तलाशी ली गई थी। उन्होंने तर्क दी कि कार्यवाही के प्रत्येक चरण को पंचनामा में विधिवत दर्ज किया गया था, जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा सिद्ध किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि समुचित ज़ब्ती की गई थी, जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा सिद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि भले ही दो स्वतंत्र पंच गवाहों, मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया हो और अपने पक्षद्रोही हों, फिर भी उन्होंने सभी दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। चूँकि सम्पूर्ण कार्यवाही उचित और प्रामाणिक रूप से की गई है, जिसे अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-5) द्वारा सिद्ध किया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष का पूरा मामला और तलाशी व ज़ब्ती से संबंधित अभिलेखों में मौजूद साक्ष्य केवल इस आधार पर खारिज नहीं किए जा सकते कि ज़ब्ती के गवाहों ने समर्थन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत सूचना दर्ज करने, धारा 42 (2) के तहत सूचना भेजने, धारा 50 के तहत तलाशी नोटिस, धारा 57 के तहत उच्च प्राधिकारी को सूचना देने और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 55 के तहत जब्त की गई वस्तु की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में सभी अनिवार्य प्रावधानों का

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[1] ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 229

[2] (2007) 1 एस.सी.सी. (दांडिक) 744

[3] (2010) 1 एस.सी.सी. (दांडिक) 702

सावधानीपूर्वक पालन किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह अनुपालन सिद्ध किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब्ती वास्तविक रूप से की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक अपीलार्थी द्वारा ले जाए गए पैकेट में रखे गए गांजे की जब्ती का संबंध है, धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, हालांकि न केवल ब्राउन शुगर बल्कि गांजा की जब्ती भी एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद ही की गई है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **पी.पी. फातिमा बनाम केरल राज्य[4], भोला राम कुशवाहा बनाम मध्य प्रदेश राज्य[5]** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर अवलंब लिया है।

(9) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों और इस अपील में उठाए गए आधार के आलोक में, पहला प्रश्न जो विचारणीय है, वह यह है कि क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में निहित अनिवार्य प्रावधान, यदि वे लागू हो, का शब्दशः अनुपालन किया गया था ताकि कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके। सहायक उप निरीक्षक भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) अन्वेषण अधिकारी हैं, जिनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। उन्होंने कथन दिया कि दिनांक 16-3-1999 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अपीलार्थी के पास ब्राउन शुगर और गांजा है और वह अंबिकापुर के ब्रह्मपारा (घसियापारा) स्थित अपने घर के सामने उसे बेच रहा है। इसे रोज़नामचा सनहा क्र. 1268 में लिखित रूप में दर्ज किया गया और प्रदर्श पी-1 के तहत एक पृथक पंचनामा तैयार किया गया। आरक्षक मार्कण्डे मिश्रा (अ.सा.-1) ने बयान दिया है कि वे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अंबिकापुर के कार्यालय में पदस्थ थे और उन्हें प्रदर्श पी-1 की सूचना प्राप्त हुई थी और उन्होंने उस पर पृष्ठांकन भी किया था। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) ने बिना तलाशी वारंट प्राप्त किए घटनास्थल पर जाने का कारण की सूचना दी थी और इस आशय की सूचना प्रदर्श पी-2 के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी, जिस पर भी उनके द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित रसीद का पृष्ठांकन है। उन्होंने यह भी बयान दिया कि प्रदर्श पी-3 में निहित घटनास्थल पर जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी भी भेजी गई थी, जो कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई है और उसमें उनके लिखित हस्ताक्षर में पृष्ठांकन भी हैं। अन्वेषण अधिकारी भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) ने अपनी गवाही में यह भी बयान दिया है

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[4] (2003) 8 एस.सी.सी. 726

[5] ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 229

कि सूचना के अनुसार घटनास्थल पर पहुँचने के बाद, अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया गया था, जिसमें अपीलार्थी को (प्रदर्श-पी/6) द्वारा सूचित किया गया था कि उसके पास ब्राउन शुगर और गांजा है और वह उसे बेच रहा है इसलिए उसकी तलाशी आवश्यक है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उक्त नोटिस में अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी तलाशी करा सकता है, जिसके पश्चात, अपीलार्थी ने गवाहों के समक्ष लिखित रूप से कहा कि वह अन्वेषण अधिकारी भोलानाथ सिंह, सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.-5) द्वारा तलाशी लिए जाने हेतु अपनी सहमति देता है। धारा 50 के तहत प्रदर्श पी-6 में दिया गया उक्त नोटिस सिद्ध किया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने आगे यह भी बयान दिया कि उन्होंने और अन्य विभागीय अधिकारियों तथा पंच गवाहों ने अपीलार्थी को नोटिस दिया था और उसकी तलाशी ली थी, इसलिए अपीलार्थी की तलाशी ली गई। हालाँकि प्रति-परीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि अपीलार्थी को नोटिस नहीं दिया गया था और इसे बाद में पुलिस थाने में तैयार किया गया था, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है और एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में कोई अन्य विसंगति या परिस्थिति नहीं है जिससे कोई संदेह उत्पन्न कर सके। अन्वेषण कार्यालय ने अभियुक्त की तलाशी के मामले में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में निहित प्रावधान के अनुपालन के संबंध में मुख्य परीक्षा के साथ-साथ अपनी प्रति-परीक्षा में भी सुसंगत बयान दिया और उसकी स्पष्ट, विश्वसनीय और सुदृढ़ गवाही में किसी भी प्रकार का विरोधाभास या भिन्नता सामने नहीं आई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों स्वतंत्र पंच गवाह मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और यहाँ तक कि उन्हे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। हालाँकि, मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रदर्श पी-4 (बी), पी-5, पी-6, पी-7, पी-8, पी-9 और पी-10 में अपने हस्ताक्षर किए थे। दोनों ने बताया है कि जब वे वहाँ वाहन को छुड़ाने के संबंध में पुलिस थाना गए थे, तो पुलिस ने 8 से 10 कागज़ों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए थे। हालाँकि, न तो उन गवाहों ने वाहन को छोड़ने के संबंध में मामले का विवरण दिया है और न ही अपीलार्थी ने अपने प्रतिरक्षा पक्ष में कोई विवरण प्रस्तुत किया है। चूंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन अन्वेषण अधिकारी

भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) द्वारा सिद्ध कर दिया गया है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही की वास्तविकता के बारे में संदेह करने की कोई आधार नहीं है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी की तलाशी लेने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 50 में निहित प्रावधान का विधिवत और सारभूत अनुपालन किया गया था।

(10) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **रितेश चक्रवर्ती** (पूर्वोक्त) के मामले पर अवलंब लिया है।

उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई विसंगतियों और अद्वितीय तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया है। वर्तमान मामले में ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ नहीं हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही, अन्वेषण अधिकारी भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) की विश्वसनीय, भरोसेमंद और सुसंगत गवाही से सिद्ध हुई है, जिनकी गवाही अटूट रही और इसलिए, विश्वास को प्रेरित करती है। सूचना प्राप्त होने से लेकर तलाशी लेने तक की प्रत्येक कार्यवाही को अन्वेषण अधिकारी ने अपनी गवाही में सिद्ध कर दिया है, जो दर्शाता है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के शरीर की तलाशी लेने से पहले एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि वर्तमान मामले में चूंकि दोनों स्वतंत्र पंच गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, इसलिए अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला संदिग्ध हो गया है और अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है, संदेह की स्थिति की जांच की जानी आवश्यक चाहिए।

उपर्युक्त कंडिका में, इस न्यायालय ने इस मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के तरीके पर चर्चा की है। यदि इसकी सूक्ष्मता से जाँच की जाए, तो यह सामने आएगा कि अन्वेषण अधिकारी ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 और 50 में निहित विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया था। पुलिस थाने में प्राप्त सूचना को रोजनामचा सनहा में विधिवत दर्ज किया गया; सूचना को अगले उच्च अधिकारी को विधिवत अग्रेषित किया गया; तलाशी वारंट प्राप्त न करने के कारणों को विधिवत दर्ज किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के साथ-साथ अन्य सभी

विभागीय अधिकारियों और स्वतंत्र पंच गवाहों की भी तलाशी ली और उसके बाद अभियुक्त की शारीरिक तलाशी ली गई। अन्वेषण अधिकारी ने कार्यवाही के प्रत्येक चरण के लिए पंचनामा तैयार किया और उसके बाद अपीलार्थी से विनिषिद्ध वस्तु जब्त की गई।

अन्वेषण अधिकारी भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) ने अपनी गवाही में सिद्ध किया है कि अपीलार्थी द्वारा पहने हुए कुर्ते की जेब से ब्राउन शुगर के दो छोटे पैकेट और उसके प्लास्टिक बैग से गांजा बरामद हुआ था। अन्वेषण अधिकारी के बयान के अनुसार, तलाशी ज्ञापन, प्रदर्श पी-9, तैयार किया गया था। इसके पश्चात, प्रदर्श पी-10 में समरस पंचनामा भी तैयार किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने बताया कि ज़ब्त किए गए गांजे और ब्राउन शुगर का वज़न करवाया गया और प्रदर्श पी-13 के ज़ब्ती मेमो के अनुसार ज़ब्ती की गई। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल पर ही उनके द्वारा देहाती नालिशी, प्रदर्श पी-15, दर्ज की गई थी और प्रदर्श पी-11 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने अपनी गवाही में आगे बताया कि तलाशी और ज़ब्ती का विवरण नगर पुलिस अधीक्षक को प्रदर्श पी-3 के माध्यम से सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदर्श पी-16 के माध्यम से गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार किया गया था और प्रदर्श पी-17 के माध्यम से अभियुक्त को घटनास्थल पर लिखित सूचना दी गई थी और प्रदर्श पी-18 के माध्यम से उसकी पत्नी को सूचना भेजी गई थी। थाने लौटने पर, उनके द्वारा सिद्ध की गई एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-19) में अपराध दर्ज किया गया। दिनांक 17-5-1999 को एफ.आई.आर. की प्रति, तलाशी ज्ञापन, जब्ती ज्ञापन और गिरफ्तारी ज्ञापन विशेष न्यायालय में प्रदर्श पी-20 के तहत प्रस्तुत किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि थाने लौटने पर, जब्त की गई वस्तुएं जितेंद्र सिंह (अ.सा.-2) को प्रदर्श पी-4 के तहत सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए दे दी गईं। अन्वेषण अधिकारी ने सूचना प्राप्ति, रवानगी, घटनास्थल पर की गई कार्यवाही का विवरण, ब्राउन शुगर और गांजे की सुरक्षित अभिरक्षा और सी.एस.पी. द्वारा ज़ब्त सामग्री की अभिरक्षा के सत्यापन से संबंधित थाने में दर्ज विभिन्न रोज़नामचा सन्हा भी प्रस्तुत और सिद्ध किए हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी में संबंधित प्रविष्टियाँ भी प्रस्तुत और प्रमाणित की गई हैं।

मार्कण्डे मिश्रा (अ.सा.-1) ने बयान दिया है कि उक्त सूचना प्रदर्श पी-3 उन्हें प्राप्त हुई थी और उन्होंने प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर और पृष्ठांकन किया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) अन्वेषण अधिकारी की विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाही सभी तात्विक पहलुओं पर प्रति-परीक्षा के दौरान भी अडिग रही और उन्होंने इस बात का विशेष रूप से खंडन किया कि पंच गवाहों के हस्ताक्षर पुलिस थाने में उस समय लिए गए थे जब वे वाहन को छुड़वाने के संबंध में पुलिस थाने आए थे। प्रतिरक्षा पक्ष ने उनसे अत्यंत विस्तृत और लंबी प्रति-परीक्षा की, लेकिन वे अपने बयान पर अडिग रहे। जाँच के विभिन्न पहलुओं पर, विभागीय गवाह मार्कंडे मिश्रा (अ.सा.-1), जितेंद्र सिंह (अ.सा.-2) और धर्मवीर सिंह (अ.सा.-6) द्वारा पुष्टि किया गया है।

पंच गवाहों ने भी ज़ब्ती ज्ञापन सहित विभिन्न दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। मोहम्मद सलीम (अ.सा.-3) और शाहिद खान (अ.सा.-4) दोनों ने उन दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं जिन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा सिद्ध किया गया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके हस्ताक्षर कोरे कागज़ों पर लिए गए थे। यद्यपि उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि जब वे अपने वाहन को छुड़वाने के संबंध में पुलिस स्टेशन गए थे, तब उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, लेकिन उन गवाहों द्वारा ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है कि वाहन का नंबर क्या था और वे किस न्यायालयीन कार्यवाही/मामले में पुलिस थाना पहुंचे थे। प्रतिरक्षा पक्ष ने मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी सामग्री अभिलेश पर नहीं रखी है कि अभियोजन पक्ष के दो गवाह किसी वाहन को छोड़ने के संबंध में आए थे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) **भोला राम कुशवाहा** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस तर्क पर विचार करते हुए कि चूंकि स्वतंत्र गवाह अपने बयान से पक्षद्रोही गए हैं, इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है, यह माना गया:

> "4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया की कि चूँकि दोनों गवाह, जिन्हें स्वतंत्र गवाह बताया गया था, अपने बयान से पक्षद्रोही हो गए है। इसलिए विचारण न्यायालय को अभियुक्तों को दोषमुक्त कर देना चाहिए था। हम इस सामान्य दलील से प्रभावित नहीं हैं। स्वयं को संतुष्ट करने के लिए हमने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयानों का अवलोकन किया है तथा यह पता लगाया है कि क्या उनकी गवाही अपीलार्थी को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए विश्वास को प्रेरित

करती है जिसके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है तथा दंडित किया गया है।

पी.पी. बीरन बनाम केरल राज्य[6] के मामले में भी इसी तरह के तर्क दिए गए थे, जिसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में किया था:

> "3. उसके विरुद्ध आरोपित मामले दर्शाता है कि जब पुलिस उपनिरीक्षक अ.सा.-2 ने उन्हें रोका और तलाशी ली, तो उनके पास 23.5 ग्राम अफीम पाई गई। हमने गौर किया कि तलाशी के समय अ.सा.-2 ने दो गवाहों को बुलाया था, जिनमें से एक से अ.सा.-1 के रूप में परीक्षण किया गया और दूसरे से नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति से पूछताछ की गई (अ.सा.-1) ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, इसलिए उसे पक्षद्रोही माना गया। यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि पुलिस उपनिरीक्षक अ.सा.-2 का साक्ष्य असमर्थित रहा है, इसलिए उसे दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, तथापि केवल इसी आधार पर अ.सा.-2 की गवाही को खारिज करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अन्यथा भी, यह नहीं कहा जा सकता कि अ.सा.-2 का साक्ष्य असमर्थित है, क्योंकि तथ्य यह है कि उसके पास से अफीम बरामद की गई थी और प्रदर्श पी-2 जो अपीलार्थी के हस्ताक्षर वाला एक समर्थन है, को अ.सा.-2 की गवाही की पुष्टि करने वाली परिस्थितियों के रूप में माना जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी.पी. फातिमा (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब्ती वास्तव में जब्ती प्राधिकारी द्वारा की गई थी, तथा निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "7. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब्ती के पंच गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, जब्ती को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने बार-बार यह माना है कि केवल इस तथ्य से कि पंच

[6] (2001) 9 एस.सी.सी. 571

> गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता, अभियोजन पक्ष के मामले को कम स्वीकार्य नहीं बनाता, यदि अन्यथा न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध सामग्री और ज़ब्ती करने वाले प्राधिकारी के साक्ष्य से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी ज़ब्ती वास्तव में की गई थी। वर्तमान प्रकरण में भी हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अ.सा.-1 और 2 के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष द्वारा ज़ब्ती सिद्ध हो गई है। इसलिए, यह तर्क भी विफल है।

कार्तिक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[7] के मामले में, ऐसी स्थिति जहां स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, जो कि विभागीय गवाहों द्वारा विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया था, इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित दिया गया था:

> "9. यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र गवाह चमरा राम का भी परीक्षण नहीं किया। हालाँकि, बलिराम, अ.सा.-4 ने अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रति-परीक्षा किए जाने पर अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्णतः समर्थन किया। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्होंने उपनिरीक्षक अरिवेद द्विवेदी, अ.सा.-5 द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का समर्थन किया था, लेकिन केवल इतना कहा था कि वह उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते, जिसके कब्जे से गांजा जब्त किया गया था। वजन पंचनामा के साक्षी तेजराम साहू, अ.सा.-3 ने भी वजन पंचनामा प्रदर्श पी-7 पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। उपनिरीक्षक अरविंद द्विवेदी, अ.सा.-5 की गवाही पूर्णतः अप्रतिवादित, विश्वसनीय और विश्वास को प्रेरित करने वाली है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की प्रदर्श पी-26 की रिपोर्ट के आधार पर, यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया पदार्थ गांजा था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) इन सभी निर्णयों में एक सामान्य सूत्र यह है कि यह सामान्य प्रतिज्ञप्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन सभी मामलों में जहाँ स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए है, अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जा सकता है। दूसरी ओर, यह

[7] 2007 (2) सी.जी.एल.जे. 17

अभिनिर्धारित किया गया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष के संपूर्ण मामले और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध सामग्री और ज़ब्ती प्राधिकारी के साक्ष्य से संतुष्ट हो जाता है कि ज़ब्ती वास्तविक रूप से की गई थी, तो ज़ब्ती प्राधिकारी द्वारा की गई ज़ब्ती के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग, यह विधि की एक सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विभागीय गवाहों/जब्ती प्राधिकारी के साक्ष्य को स्वतंत्र जब्ती गवाहों द्वारा पुष्टि के अभाव में दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि अन्वेषण अधिकारी की गवाही विश्वसनीय है और विश्वास प्रेरित करती है, तो उस पर अवलंब लिया जा सकता है और दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। यहां तक कि **रितेश चक्रवर्ती** (पूर्वोक्त) के मामले में भी, **भोला राम कुशवाहा** (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया गया था, कि केवल इसलिए कि गवाह पक्षद्रोही गए हैं, अभियुक्त अधिकार के रूप में दोषमुक्त होने के निर्णय का हकदार नहीं होगा। यदि अन्यथा अभियोजन पक्ष का मामला कई विसंगतियों से ग्रस्त है, अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और अन्वेषण अधिकारी और विभागीय गवाहों की गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और मामले की अन्य परिस्थितियां संदेह की छाया डालती हैं, तो स्वतंत्र गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने के कारण जब्ती को सिद्ध नहीं माना जा सकता है, यह **रितेश चक्रवर्ती** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित अवलोकनों से स्पष्ट होता है:

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "38. *भोला राम कुशवाहा* बनाम *मध्य प्रदेश राज्य* मामले में यद्यपि इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि केवल इसलिए कि गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, अपीलार्थी अधिकार के रूप में दोषमुक्त के निर्णय का हकदार नहीं होगा, किन्तु अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि पुलिस ने गवाहों को थाने में बुलाया था और कागज पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे, तथा स्वतंत्र गवाहों के बयानों कि अभियुक्त से उनकी उपस्थिति में कभी पूछताछ नहीं की गई और उसकी तलाशी नहीं ली गई, को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त कर दिया गया था।"

(15) उपरोक्त अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचन तथा अन्वेषण अधिकारी भोलानाथ सिंह (अ.सा.-5) की विश्वसनीय एवं भरोसेमंद गवाही, जिसमें सूचना दर्ज करने से लेकर एफ.एस.एल. से रिपोर्ट प्राप्त होने तक अनुसंधान के दौरान तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के विभिन्न चरणों को सिद्ध किया गया है, तथा मार्कण्डे मिश्रा (अ.सा.-1), जितेन्द्र सिंह (अ.सा.-2) और धर्मवीर सिंह यादव (अ.सा.-6) द्वारा विभिन्न तात्विक पहलुओं पर पुष्टि की गई है, विश्वास को प्रेरित करती है और यह सिद्ध होता है कि जब्ती वास्तविक रूप से जब्ती प्राधिकारी द्वारा की गई थी।

(16) परिणामस्वरूप दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता है और इसलिए अपील खारिज की जाती है।

(17) यद्यपि तात्विक कारावास की दंड को निलंबित कर दिया गया था और अपीलार्थी को दिनांक 11-3-2002 के आदेश के तहत जमानत दे दी गई थी, लेकिन बाद में, चूंकि अपीलार्थी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने के कारण, दिनांक 31-8-2009 के आदेश के तहत, जमानत पत्र जब्त कर लिए गए और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) से दिनांक 12-11-2009 के ज्ञापन द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को दिनांक 12-11-2009 को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर भेज दिया गया है तथा जमानत राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अतः इस संबंध में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
श्री मणींद्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।
Translated By - ब्रजेश कुमार तिवारी